चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 05.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 05.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुषोत तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय व आरक्षी ललित सोनी द्वारा मु0अ0सं0 61/2024 धारा 363/366 भादवि0 के वांछित अभियुक्त रविकरन पुत्र शिवमूरत निवासी सिंहपुर थाना तिन्दवारी जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया।

(4). पुलिस अधीबक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री मुन्नीलाल तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त कुशल प्रसाद मिश्रा पुत्र भुलेश मिश्रा निवासी ग्राम सुरसेन थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 22 अदद देशी पाउच के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

22 अदद देशी पाउच

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री मुन्नीलाल

2.आरक्षी राहुल पुरी

(5). दिनांक 03.09.2024 को समय करीब 19.34 बजे पीआरवी 2029 द्वारा इवेंट नं0 45843 पर कालर अरूण प्रजापति द्वारा सूचना मिली की एक अज्ञात लड़का जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वह मेरे घर के पास बरिया रोड ग्राम करही थाना मऊ पर घूम रहा है।

हुलियाः- लम्बाई 03 फिट 6 इंच करीब,

शरीरिक बनावट – सावला दुबला पतला

उम्रः- करीब 13 वर्ष (लगभग)

पहनावाः- हरा टी-शर्ट फूल बाह जिस पर DR NYC 7 लिखा हुआ है।, सफेद लाइनदार कैफ्री जेब पर पीला कलर की पट्टी

सूचना प्राप्त होने पर निम्न नम्बरों पर जानकारी दें।

प्रभारी निरीक्षक मऊ- मो0नं0 9454403208, 9305101106

क्षेत्राधिकारी मऊ- मो0नं0 9454401357, 9305101115

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपहृतों/गुमशुदाओं की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में थाना रैपुरा पुलिस ने सोमवती अमवस्या मेला से भटकी महिला को भौरी से बरामद कर सकुशल परिजन को सुपुर्द किया गया ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.09.2024 को समय 11.00 बजे सूचना मिला की एक अज्ञात महिला थाना रैपुरा अन्तर्गत ग्राम भौरी में भटक रही है जिसने अपना नाम सरला पत्नी शिवमोहन निवासी महाना जिला ललौली जिला फतेहपुर बताया। तत्काल कार्यवाही करते हुए सी-प्लान एप के माध्यम से ग्राम प्रधान महाना थाना ललौली जिला फतेहपुर के नंबर पर कॉल किया गया तो ज्ञात हुआ कि यह महिला उपरोक्त स्थान की है। महिला ने बताया कि सोमवती अमावस्या मेला में अपने देवर और एक बच्ची के साथ आई थी। मेले में अधिक भीड़ होने के कारण गुम हो गई थी। ग्राम प्रधान मधाना द्वारा देवर के नंबर से बातचीत कर उसके बारे में पता किया गया तो देवर मधुराज पुत्र बदलू निवासी मधाना

जिला फतेहपुर द्वारा बताया गया कि मेरे साथ चित्रकूट सोमवती अमावस्या मेला में आई थी जो मेले में गुम हो गयी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में दिनांक 03.09.2024 को गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी।

बरामद करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना रैपुरा

2. महिला आरक्षी निधि सेंगर

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दिव्यांश पाण्डेय व उनकी टीम एवं आबकारी निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार मिश्र की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्ता कलावती पत्नी राममगन निवासी ग्राम बराछी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01 प्लास्टिक के डिब्बा में कुल 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ता के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

बरामदगीः-

1. 01 अदद डिब्बा में कुल 10 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री दिव्यांश पाण्डेय थाना मऊ

2.आरक्षी शुभम त्रिपाठी

3.आरक्षी बृजेन्द्र राय

गिरफ्तार करने वाली आबकारी टीम का नाम-

1.आबकारी निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार मिश्र क्षेत्र 02

2.आबकारी सिपाही मो0 अकरम

3.आबकारी महिला सिपाही सुमित्रा देवी

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा दिनाँक 04.09.2024 को थाना रैपुरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अगरहुँडा में हुयी हत्या की घटना के नामजद अभियुक्त को 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

रामगोविन्द पुत्र समाजी निवासी ग्राम अगरहुँडा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

आलाकत्ल कुल्हाडी

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

अरवारा मोड़ थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट ,दिनाँक 05.09.2024 समय 12.25 बजे

संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.09.2024 को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अगरहुँडा थाना रैपुरा के अरविंद सिंह पुत्र स्व0 शिवकुमार सिंह को गांव के ही रामगोविंद पुत्र समाजी निवासी अगरहुँडा ने सिर पर कुल्हाड़ी मारकर

हत्या कर दी है। मृतक की पत्नी वादिया श्रीमती सुषमा सिंह की लिखित तहरीर पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 149/2024 धारा 103(2),351(3) बी0एन0एस0 बनाम 1. रामगोविन्द उर्फ गोविन्द 2.श्रीराम 3.पप्पू पुत्रगण समाजी 4.समाजी पुत्र अज्ञात निवासीगण ग्राम अगरहुँडा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक रैपुरा को निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनाँक 05.09.2024 को थाना रैपुरा पुलिस टीम द्वारा समय 12.25 बजे अरवारा मोड़ थाना क्षेत्र रैपुरा के पास से मुख्य अभियुक्त रामगोविन्द उर्फ गोविन्द पुत्र समाजी निवासी ग्राम अगरहुँड़ा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त से पूंछताछ के क्रम में उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल कुल्हाडी जिससे अभियुक्त ने घटना कारित किया था गुन्ता बाँध सड़क के किनारे उगी घास की झाड़ियों से बरामद किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह थाना रैपुरा
2.आरक्षी अंकित शुक्ला
3. आरक्षी राममूरत

प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस
माननीय न्यायालय द्वारा सड़क दुर्घटना के आरोपी अभियुक्त को 1800/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायाकि मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजलिका द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 345/2016 धारा 279,337,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त दिलीप पुत्र कामता प्रसाद निवासी नयाचन्द्रा गढ़ीकला थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 1800/- रुपये के अर्थ से दण्डित किया गया।